



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 7,000 रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 125/2017 धारा- 354,323,504 भा0द0सं0 व 08 पॉक्सो एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रोहित पुत्र बृह्मा निवासी बरहरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को धारा-354 भा0द0सं0 व 08 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास व ₹7,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ0नि0 सत्यविजय
सिंह



पैरोकार- थाना
जरिया
का0 संतोष यादव